


ब अदालत अंचल अधिकारी, मधुपुर (देवघर) पंजी-II फोरम संख्या- 562
आदेश फलक

(अभिलेख हस्तकाय नियम- 129)

नामांतरण बाद सं० :- 515/2016-17

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही												
1	2	3												
13/3/17	<p>अभिलेख उपस्थित प्रस्तुत वाद आवेदन कार्यपालक अभियंता सिचाई प्रमण्डल जसीडीह शिविर, देवघर जिला- देवघर द्वारा दलित आवेदन पत्रांक- 33 दिनांक 23.01.2017 द्वारा प्राप्त किया गया। आवेदक पुनासी जलासय योजना हेतु वन भूमि अपयोजन के सापेक्ष क्षतिपुरक गैर बन भूमि का नामांतरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के पक्ष में करने का अनुरोध किया है।</p> <p>नामांतरण हेतु आवेदित भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा का नाम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>दाग नं०</th> <th>रकबा</th> <th>किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बदिया</td> <td>296</td> <td>41</td> <td>1220</td> <td>86.30 एकड</td> <td>जंगल झाड़ी</td> </tr> </tbody> </table> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन मांगे। अभिलेख दिनांक 14/3/17 को प्राप्त करें।</p> <p>लेखापित। अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p> <p>अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p>	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता सं०	दाग नं०	रकबा	किस्म	बदिया	296	41	1220	86.30 एकड	जंगल झाड़ी	
मौजा का नाम	थाना नं०	खाता सं०	दाग नं०	रकबा	किस्म									
बदिया	296	41	1220	86.30 एकड	जंगल झाड़ी									

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
14.3.17	<p>अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। मौजा के 16 आना रैयत को आपत्ती संबंधी दाखिला का नोटिस कर आदेश हेतु अभिलेख दिनांक 14.3.17 को प्रस्तुत करें।</p> <p>लेखापित।  अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p> <p> अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p>	

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
२१.१२.१७	<p>अभिलेख उपस्थापिता हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त सौलह आना रैयत का नोटिश का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन मौजा- बदिया थाना नं०- 296 के ज०न०- 41 दाग नं०- 1220 में जंगल झाड़ी कहकर गैरमजुरुआ खाता में दर्ज है। एवं वर्तमान में स्थल पर वन विभाग द्वारा वृक्षा रोपन किया गया है उपायुक्त देवघर पत्रांक- 786 दिनांक 24.11.2013 के द्वारा अवभार मुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है के आलोक में जमीन पुनासी जलाशयाय योजना हेतु क्षतिपुरक गैर वन भूमि मौजा- बदिया थाना नं०- 296 रकवा- 86.30 एकड़ भूमि नामांतरण हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर मौजा- बदिया थाना नं०- 296 ज०न०- 41 दाग नं०- 1220 रकवा- 86.30 एकड़ भूमि नामांतरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के नाम से करने की दी जाती है। अनुशासित लगान- अलावे सेस निर्धारित की जाती है। अभिलेख सहायक को निर्देश दिया जाता है कि शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ हेतु दिनांक को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित।</p> <p> अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p> <p> अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p> <p>अभिलेख उपस्थापिता शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित। हस्ताक्षरार्थ शुद्धि पत्र राज्य कर्मचारी को एक प्रति हस्तागत करें।</p> <p>लेखापित।</p> <p> अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p> <p> अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p>	

कार्यपालक अधिकारी का नाम व पत्रिका संख्या का नामान्तरण हेतु शुद्धि-पत्र
 अंचल व अनुमंडल-मधुपुर, जिला-देवघर

नामान्तरण वाद संख्या- 815/16-17

क्र० सं०	पंजी -II (दो) में दर्ज मामलों की संख्या एवं वर्ष	मौजा एवं थाना संख्या	आदेश देनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	नामान्तरण का आधार	नामान्तरण जमीन का पूर्ण विवरण	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7
		बादिया 296	अंचल अधिकारी, मधुपुर।	देवघर/मधुपुर निबंधन कार्यालय -केवल सं० 786 दिनांक 24.11.18 एवं हल्का कर्मचारी व प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन।	पुराना खाता/शोका संख्या 41 रकवा बी० 93,30 रु वर्गफीट लगान श्री/श्रीमती अनास अ.ई. के नाम से दर्ज है। नया खाता संख्या 41/A रकवा बी० 86,30 रु क० धू / श्रीमती अलावे शेष श्री/श्रीमती 2154 97-विभागा लगान अलावे शेष श्री/श्रीमती 2154 97-विभागा प्लिन/पति आर.र.व.एस.एस.कार सा०/मुहल्ला सा०/मुहल्ला अंचल जिला के नाम से नामान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान एवं अन्य वसूली योग्य शेष बकाये की तिथि से देय होगा। यह आदेश हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं सेट्टीड के आधार पर दिया जाता है।	

मधुपुर



शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हल्का कर्मचारी, हल्का सं०को आदेश दिया जाता है कि वे लगान एवं अन्य वसूली योग्य शेष बकाये की तिथि से वसूली करें तथा इनका अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को शीघ्र लौटाये।

अंचल अधिकारी
 मधुपुर
 11.3.17